

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जनवरी 2025—माघ 2, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

आर. क्र. 2302124-2024-सत्रह-M-2.—औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के खण्ड 30 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के समस्त वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों तथा औषधि निरीक्षकों को मध्यप्रदेश राज्य में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करता है।

R. No. 2302124-2024-XVII-M-2.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 30 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, the Government of Madhya Pradesh, hereby, authorizes all Senior Drugs Inspectors and Drugs Inspectors of the food and Drugs Administration, Madhya Pradesh for the purpose of the said clause within the limits of their respective jurisdiction in the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, अपर सचिव.